

अति महत्वपूर्ण

संख्या- 19/2025/254/सैतालीस-का-5-2025-(1788429)

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

C.D.O./ADM(E)
02.06.2025
जिलाधिकारी
शिविर कार्यालय, अयोध्या

कार्मिक अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 02 जून, 2025

विषय:- समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टियां ऑनलाइन लिखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टियां मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-5/2025/05सैतालीस-का-5-2025, दिनांक 17.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आलोच्य वर्ष 2024-25 में वार्षिक मूल्यांकन / प्रविष्टि हेतु स्वमूल्यांकन आख्या / प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता अधिकारी का मन्तव्य दर्ज किये जाने हेतु समय सारिणी भी निर्धारित की गयी है। उक्त आदेश दिनांक 17.01.2025 द्वारा वर्कफ्लो जनरेशन हेतु दिनांक 30.04.2025 की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी थी परन्तु समस्त कार्मिकों का वर्कफ्लो समयांतर्गत जनरेट न हो पाने के कारण क्रमशः शासनादेश संख्या- 16/2025/172/सैतालीस-का-5-2025-(1788429), दिनांक 20.05.2025 तथा 17/2025/183/सैतालीस-का-5-2025-(1812380), दिनांक 26.05.2025 तथा 18/2025/183(1)/सैतालीस-का-5-2025-(1788429), दिनांक 29.05.2025 द्वारा वर्कफ्लो जनरेशन की अंतिम तिथि क्रमशः दिनांक- 25.05.2025, दिनांक- 28.05.2025 एवं दिनांक 31.05.2025 तक बढ़ाई गयी।

2- मानव सम्पदा पोर्टल की नियमित समीक्षा एवं शासन के उपरोक्त स्पष्ट आदेशों के उपरान्त भी पोर्टल की दिनांक- 31.05.2025 को की गयी समीक्षा में यह पाया गया कि पोर्टल

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

1127
RA

ADM(E)
03.6.25

पर दर्ज कार्मिकों में से मात्र 5,38,945 कार्मिकों का ही वर्क फलो जनरेट हुआ है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं कहीं जा सकती है।

3- मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन वार्षिक मूल्यांकन / प्रविष्टि दर्ज किये जाने की व्यवस्था में समूह 'ग' एवं 'घ' को चूंकि प्रथम बार सम्मिलित किया गया है तथा निर्धारित समयावधि में समस्त कार्मिकों का वर्कफलो जनरेशन नहीं हो सका है, अतः प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त कार्मिकों के वर्कफलो जनरेशन की अंतिम तिथि 05.06.2025 तक एवं स्वमूल्यांकन आख्या पोर्टल पर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10.06.2025 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुए अपने विभाग / विभागान्तर्गत कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का वर्क फलो निर्धारित समयावधि में जनरेट कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. श्री ए०के० रावत, वरिष्ठ निदेशक(आई०टी०), एन०आई०सी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. ई०एम०डी० मैनेजर सचिवालय प्रशासन विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देश को ई-ऑफिस डैश बोर्ड पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।